न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/33 **दायरा दिनांक : 16.04.2024**

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र बिहारी
2. लेखराज पुत्र बिहारी
3. सीताराम पुत्र बिहारी
4. हेमराज पुत्र बिहारी
5. भूलीबाई पुत्री बिहारी
6. सोहन बाई पुत्री बिहारी

अकवाम जाति खाती, निवासीगण ग्राम पीपल्दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
.... अपीलांट

बनाम

1. सुनन्दा पत्नी ब्रदीलाल, जाति खाती, निवासी पीपल्दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड हाल निवासी 296, गणेश नगर, नागर क्लिनिक की गली, कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/34 **दायरा दिनांक : 16.04.2024**

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र बिहारी
2. लेखराज पुत्र बिहारी
3. सीताराम पुत्र बिहारी
4. हेमराज पुत्र बिहारी
5. भूलीबाई पुत्री बिहारी
6. सोहन बाई पुत्री बिहारी

अकवाम जाति खाती, निवासीगण ग्राम पीपल्दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
.... अपीलांट

बनाम

1. सुनन्दा पत्नी ब्रदीलाल, जाति खाती, निवासी पीपल्दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड हाल निवासी 296, गणेश नगर, नागर क्लिनिक की गली, कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड

..... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/35 **दायरा दिनांक : 16.04.2024**

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र बिहारी
2. लेखराज पुत्र बिहारी
3. सीताराम पुत्र बिहारी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4. हेमराज पुत्र बिहारी
अकवाम जाति खाती, निवासीगण ग्राम पीपल्दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड (राज0)
.... अपीलांट

बनाम

1. सुनन्दा पत्नी स्वर्गीय ब्रदीलाल, जाति खाती, निवासी पीपल्दा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड हाल निवासी म. नम्बर 148, नारायण विहार, बालिता रोड़, कुन्हाडी, कोटा (राज0)
2. झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर, जिला झालावाड

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री दिनेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल व श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.03.2025**

ये तीनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये तीनों अपीले अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 539/प्रार्थना पत्र/2022, 564/प्रार्थना पत्र/2022, 609/प्रार्थना पत्र/2022 निर्णय दिनांक 13.03.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

तीनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनन्दा व राधेश्याम ने तीन वाद कमशः 539/प्रार्थना पत्र/2022, 564/प्रार्थना पत्र/2022, 609/प्रार्थना पत्र/2022 अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पीपल्दा पटवार हल्का धानोदाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड के माल में खाता संख्या नया 112 व पुराना 109 की खसरा नम्बर 417/504 रकबा 1.1331 हेक्टर आराजी एवं ग्राम पीपल्दा पटवार हल्का धानोदाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड के माल में खाता संख्या नया 113 व पुराना 110 की खसरा नम्बर 225 रकबा 0.0162 हेक्टर एवं खाता संख्या 66/110 खसरा नम्बर 153 रकबा 1.0198 हेक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.2914 हेक्टर कुल किता 2 की 1.3112

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने प्रकरण संख्या 539/प्रार्थना पत्र/2022, 564/प्रार्थना पत्र/2022, 609/प्रार्थना पत्र/2022 निर्णय दिनांक 13.03.2024 से प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट कम 1 का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत तीनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दुओं का निर्णय विरूद्ध अपीलांट करने में त्रुटि की है। कानूनी प्रावधानों के तहत अपीलांट का भाई बद्रीलाल उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बद्रीलाल के हिस्से की आराजी प्राप्त करने के अधिकारी है, क्योंकि बद्रीलाल निःसंतान व बिना पत्नी के फौत हुआ है। इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। रेस्पोडेंट कम 1 सुनन्दा मृतक बद्रीलाल की पत्नी नहीं है। ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे प्रथम दृष्टया सुनन्दा को मृतक बद्रीलाल की पत्नी माना जा सके। इस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान न देकर बिना ठोस आधार के निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी पर कभी भी रेस्पोडेंट कम 1 का कब्जा नहीं रहा है। रेस्पोडेंट कम 1 स्वयं को पत्नी बताती है जबकि उसका एक मात्र उद्देश्य बद्रीलाल की पत्नी बनकर आराजी हडपने का है। इस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमाया। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 539/प्रार्थना पत्र/2022, 564/प्रार्थना पत्र/2022, 609/प्रार्थना पत्र/2022 के निर्णय दिनांक 13.03.2024 निरस्त फरमाये जावे एवं रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 खारिज फरमाया जावे।

तीनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेंट सुनन्दा ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया एवं राधेश्याम ने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय पेश किये जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया। सुनन्दा ने दावे में अपने को बद्रीलाल की पत्नि बताया परन्तु अपने पक्ष के समर्थन में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये। 2021 का एग्रीमेंट पेश किया जिसमें विष्णु बैरवा से विवाह किया है। दिनांक 12.07.2023 को विवाह विच्छेद हो गया जिसका दस्तावेज हमने पेश किया है। केवल सम्पत्ति को डपने के उद्देश्य से दावा किया है। अतः अपील स्वीकार कर टी.आई. खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण अपीलांट ने दावा प्रकरण संख्या 609/2022 ग्राम पीपल्दा की आराजी कुल दो किता की 8.22 हेक्टर में ब्रदीलाल का 1/5 हिस्सा था बद्रीलाल की मृत्य दिनांक 13.05.2021 को हो गई। सुनन्दा बद्रीलाल की पत्नी है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा विवाह अनुबन्ध में इन्होंने सुनन्दा को बद्रीलाल की पत्नी स्वीकार किया है। पुनःविवाह भी कर लेती है तो भी उसे विधवा होने के नाते बद्रीलाल की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होगे। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2007–08 डी.एन.जे. (एस.सी.) (सप्ली.) पेज 90, आर.आर.डी. 1978 पेज 44 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की अप्रमाणित फोटोप्रतियां होने से वैधानिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा विवादित आराजीयात के संदर्भ में धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिनकी प्रकरण संख्या – 539, 564 व 609 है। इन तीनों प्रार्थना पत्रों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में क्रमशः अपील संख्या – 2024/34, 2024/35 एवं 2024/33 दायर की गई। प्रस्तुत तीनों अपीलों में विवाद का बिन्दु व पक्षकार समान होने से हम उपरोक्त तीनों अपीलों का निर्णय एक ही निर्णय से करना उचित समझते हैं। अपीलाधीन निर्णय एवं प्रस्तुत अपीलों में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 सुनंदा विवादित आराजियात के सहखातेदार, मृतक बद्रीलाल की पत्नी है या नहीं एवं सुनंदा को बद्रीलाल के खाते की आराजी पर अधिकार प्राप्त होंगे या नहीं।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेस्पोडेंट नम्बर 1 सुनंदा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पीपल्दा, तहसील खानपुर की खाता संख्या नया 112 व पुराना 109 की खसरा नम्बर 417/504 रकबा 1.1331 हेक्टर एवं खाता संख्या नया 113 व पुराना 110 की खसरा नम्बर 225 रकबा 0.0162 हेक्टर विवादित आराजी के संदर्भ में धारा–188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद दायर कर वाद पत्र के साथ धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई उभयपक्ष अपने निर्णय दिनांक 13.03.2024 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुख्य तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विवेचन करते हुए स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निधेधाज्ञा से पाबंद किया कि ता–फैसला वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण उपरोक्त विवादित आराजी में नाजायज कब्जा न करें और न ही अन्य किसी प्रतिनिधी से करावे तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व बाधा उत्पन्न नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने इस निर्णय में यह स्वीकार किया है कि सुनंदा मृतक बद्रीलाल की पत्नी है या नहीं इस तथ्य का फैसला गुणवगुण पर साक्ष्य व सबूतों के आधार पर मूल वाद में निर्णित होना है। अप्रार्थीगण यह साबित करने में नाकाम रहे है कि प्रार्थीया सुनंदा स्वर्गीय बद्रीलाल की पत्नी नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलांट अप्रार्थीगण द्वारा अपील संख्या 2024/35 प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बद्रीलाल के हिस्से की आराजी प्राप्त करने के अधिकार हैं क्योंकि बद्रीलाल निःसंतान व बिना पत्नी के फौत हुआ है। रेस्पोडेंट क्रम 1 सुनंदा मृतक बद्रीलाल की पत्नी नहीं है। ऐसा कोई ठोस दस्तावेज, साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रथम दृष्ट्या सुनंदा को मृतक बद्रीलाल की पत्नी माना जा सके। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.03.2024 निरस्त कर रेस्पोडेंट क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाए। अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में आदेश–41, नियम 27 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति विवाह अनुबंध, फोटो प्रति, विवाह विच्छेद एवं विवाह के फोटो ग्राफ्फस् प्रस्तुत किये गये परन्तु प्रस्तुत दस्तावेज अप्रमाणित फोटो प्रतियाँ होने से वैधानिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अपीलांट अस्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न ग्राम पीपल्दा, तहसील खानपुर की नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 112 एवं 113 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट के साथ विवादित आराजी में मृतक बद्रीलाल का नाम 1/5 हिस्से पर सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा स्वयं को बद्रीलाल की पत्नी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बताते हुए आदेश–41, नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयो॰ का पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह ई–कार्ड, झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक की पास बुक एवं राशन कार्ड की नोटेरी प्रमाणित फोटो प्रति पेश की है जिसमें सुनंदा के पति का नाम बद्रीलाल अंकित है। सुनंदा मृतक बद्रीलाल की पत्नी है या नहीं इस प्रश्न का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर होना है परन्तु अपीलांट प्रस्तुत अपील में यह साबित करने में असफल रहे है कि सुनंदा मृतक खातेदार बद्रीलाल की पत्नी नहीं है। अतः अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

प्रार्थिया रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा उपरोक्त विवादित जिस आराजी के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में धारा–188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद दायर कर वाद पत्र के साथ धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसी आराजी के संदर्भ में अपीलांट द्वारा भी धारा–88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर वाद पत्र के साथ धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र की प्रकरण संख्या 539 है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा ग्राम पीपल्दा की अन्य आराजी खाता संख्या नया 66 पुराना 110 खसरा नम्बर 153 रकबा 1.0198 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 70 रकबा 0.2914 हेक्टर आराजी के संदर्भ में अंतर्गत धारा– 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर वाद पत्र के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र की प्रकरण संख्या–609 है। दोनों प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी मात्र भिन्न है परंतु विवादित तथ्य समान है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पिता श्री बिहारीलाल की मृत्यु के उपरांत प्रार्थीगण/अपीलांट 5 व 6 का नाम नामांतकरण में दर्ज नहीं किया गया। जो गलत होने से दुरुस्त होने योग्य है। सभी वारिसान का हिस्सा 1/7, 1/7 अमल में लाया जाना चाहिए था। प्रार्थीगण का भाई स्वर्गीय बद्रीलाल पुत्र बिहारी की मृत्यु दिनांक 13.05.2021 को हो गई है एवं उसकी पत्नी सरस्वती की मृत्यु दिनांक 30.03.2012 को चुकी है। बद्रीलाल अपने पीछे कोई संतान या पत्नी छोड़कर नहीं गया है। अप्रार्थी क्रम –1 सुनंदा पत्नी बन कर आराजी हडपना चाहती है। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विवादित आराजी में बद्रीलाल के हिस्से की आराजी पर अप्रार्थी सुनंदा का नाम दर्ज नहीं किया जाये तथा अप्रार्थीया, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई दोनों प्रार्थना पत्रों का पृथक–पृथक निर्णय पारित किया परंतु विवादित बिन्दु समान होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों निर्णयों का विवेचन एवं निष्कर्ष समान है। अधीनस्थ न्यायालय

(दीक्षित रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

द्वारा धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों मुख्य बिंदुओं पर विवेचन करते हुए यह माना है कि प्रार्थीगण द्वारा सरस्वती बाई को बद्रीलाल की पत्नी बताया गया, इसके पक्ष में मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पंचनामा प्रस्तुत किया है। अप्रार्थिया द्वारा भी स्वयं को बद्रीलाल की पत्नी बताते हुए साक्ष्य के रूप में मेडिकल एक्सटेंशन कार्ड, करणी नगर विकास समिति EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION का ई– पहचान कार्ड पेश किया है, इस तथ्य का फैसला गुण अवगुणों पर साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर मूल वाद में निर्णित होना है। प्राथीगण यह साबित करने में नाकाम रहे हैं कि अप्रार्थिया सुनंदा स्वर्गीय बद्रीलाल की पत्नी नहीं है। प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी स्वर्गीय बद्रीलाल के खाते की है एवं उत्तराधिकार का प्रश्न दौराने वाद निर्णित होना है यह मानते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किये गये। प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के, उक्त दोनों निर्णयों के विरुद्ध अपील संख्या 2024/34 व अपील संख्या 2024/33 प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या – 539 व प्रकरण सं. 609 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2024 को निरस्त कर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार करने का अनुतोष चाहा है परन्तु अपीलांट प्रस्तुत अपील में यह साबित करने में असफल रहे हैं कि सुनन्दा मृतक खातेदार बद्रीलाल की पत्नी नहीं है एवं उत्तराधिकार के प्रश्न का अंतिम रूप से निस्तारण मूल वाद के निर्णय में होना है। साथ ही अपीलांट द्वारा अपील संख्या 2024/34 व 2024/33 में चाहा गया अनुतोष अपील संख्या 2024/35 में चाहे गये अनुतोष के समान है। ऐसी स्थिति में इन दोनों अपीलों का निस्तारण अपील संख्या 2024/35 में पूर्व में किये गये विवेचनानुसार करते हुए हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीले अपील संख्या 2024/35, 2024/34 एवं 2024/33 पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः 539/प्रार्थना पत्र/2022, 564/प्रार्थना पत्र/2022, 609/प्रार्थना पत्र/2022 में दिनांक 13.03.2024 को पारित तीनों निर्णय यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 12/03/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा